प्रपत्र –3

परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

परियोजना का नामः– नगरासू पेयजल योजना

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

संलग्न।

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
रुद्रप्रयाग

::आदेश::

आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के आदेश संख्या–1635/8–6 (2016–17) दिनांक 01 अगस्त, 2017 के द्वारा 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना से प्रभावित ग्रामों में R&R Plan अनुसूची–03 स्वीकृत किया गया है। जिस हेतु मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश के पत्रांक–2013/RVNL/RKSH/ UK/29-B(Pt-2-c)/R/Comp/138 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई। रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग, पेयजल निगम रुद्रप्रयाग, लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग तथा नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग के द्वारा प्रभावित ग्रामों में चिन्हित कार्यो को कराये जाने हेतु आंगणन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गयें हैं। इन आंगणन प्रस्तावों का इस कार्यालय के संशोधित आदेश संख्या–5030/आठ–भू0 अर्जन (2019–20) दिनांक 23 जुलाई, 2021 से गठित जांच समिति से टी0ए0सी0 कराई गई। गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत कराये गये अंगमान प्रस्तावों की जांच/परीक्षण कर उनके सम्मुख अंकित धनराशि सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृत कर अवमुक्त करने की संस्तुति की गई है।

मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग के द्वारा पत्र संख्या 997/7–एस0पी0ए0/टी0ए0सी0/ 2021–22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के द्वारा 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना हेतु प्रभावित ग्रामों में R&R Plan (अनुसूची–03) अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं/विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/आंगणनों की स्वीकृति से पूर्व T.A.C. के द्वारा नियमानुसार जांच एवं सत्यापन कर आख्या स्वीकृत कर प्रेषित किये हैं।

T.A.C. द्वारा स्वीकृत आंगणनों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	प्रस्तावित किये गये जनहित कार्य का नाम	विभाग द्वारा गठित आंगणन की धनराशि (लाख में)	टी0ए0सी0 द्वारा स्वीकृति हेतु सस्तुत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त की जा रही धनराशि (75%) (लाख में)
1.	सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग	नरकोटा नहर मरम्मत कार्य	4.50	4.50	3.375
		नौगांव खांकरा नहर की मरम्मत कार्य	13.22	13.22	9.915
		योग	**17.72**	**17.72**	**13.290**
2	पेयजल निगम रुद्रप्रयाग	ग्राम पंचायत नगरासू में पेयजल योजना निर्माण कार्य	300.20	300.20	225.15
		योग	**300.20**	**300.20**	**225.15**
3	लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग	ग्राम नरकोटा के पुल से जोशी महोल्ला होतु हुए काकड़ा मार्ग पर श्री हरीश चन्द्र पाण्डे के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	19.65	19.65	14.7375
		योग	**19.65**	**19.65**	**14.7375**
4.	नगर पालिका परिषद्, रुद्रप्रयाग	सुमेरपुर में भण्डारी भवन से घाट तक नाली का निर्माण	9.71	9.71	7.2825
		ग्राम पंचायत सुमेरपुर में चित्रकूट धाम से घाट तक सी0सी0 सड़क मार्ग निर्माण	9.67	9.67	7.2525
		योग	19.38	19.38	14.535
		सम्पूर्ण योग :–	356.95	356.95	267.7125

अतः उक्त आगणन प्रस्तावों का गठित जांच समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर उनके सम्मुख अंकित धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उनके सम्मुख अंकित कार्य योजनाओं के निर्माण हेतु अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है।

2- उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग इसी वर्ष 2021-22 में किया जायेगा।

3- लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जायेगा।

4- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त तकनीकी/वित्तीय औपचारिकतायें यथा Technical Sanction इत्यादि नियमानुसार पूर्ण कर ली जाय।

5- कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी से सम्पादित कराये गये कार्यों की जांच/सत्यापन कराया जायेगा।

6- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए कार्यदायी विभाग के कार्यालयध्यक्ष एवं कार्यदायी संस्था के अधि0अभि0 पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा कि सम्बन्धित कार्ययोजना हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से व्यय/धनावंटन प्राप्त नहीं किया गया है और न ही मांगा गया है।

8- कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण करवाये जायें, लागत में कोई पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

9- कार्य प्रारम्भ कराते समय वित्तीय नियमों/टेन्डर विषयक प्रक्रियाओं तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के पश्चात स्थल/कार्य के फोटोग्राफ्स लिये जायें, कार्य पूर्ण होने पर साइन बोर्ड पर स्वीकृत धनराशि, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने का दिनांक व वर्ष तथा कार्यदायी संस्था का नाम एवं कार्ययोजना का पूर्ण विवरण अंकित किया जाय।

11- *कार्यदायी संस्थाओं/विभागों को स्वीकृत की जा रही धनराशि मध्ये 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।* अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सन्तोषजनक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात किया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि के दुरुपयोग व अनियमियतता की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम दण्ड़ के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड़ के रूप में वसूली व अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड़ के रूप में FIR की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

13- गुणवत्ता की जांच हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या-4540/आठ-भू अर्जन (2019-20) दिनांक 29 जून, 2021 के द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं, समस्त कार्यदायी संस्था आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

ह0/-

(मनुज गोयल),
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या–5850/आठ–भू अर्जन/(2019–20) रुद्रप्रयाग दिनांक सितम्बर, 3 2021.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग।

3– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, रुद्रप्रयाग।

4– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।

5– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग।

6– शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, रुद्रप्रयाग।

7– मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।